

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 193] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1970/कार्तिक 16, 1892

No. 193] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1970/KARTIKA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION**

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 7th November 1970

G.S.R. 1877.—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any service in the Food Corporation of India, which has been declared to be an essential service for the purposes of the said Act, by the notification of Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 1878, dated the 7th November, 1970.

[No. F. 10-3/70-FCC.]

K. P. MATHRANI Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

खाद्य विभाग

आवेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर 1970

सा० का० नि० 1877—अतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में निम्नलिखित आदेश बनाना आवश्यक है:—

अतः अब, आवश्यक सेवा अनुसूचण अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारतीय खाद्य निगम की किसी भी सेवा में, जिसे उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० तारीख नवम्बर, 1970 द्वारा आवश्यक सेवा घोषित किया गया है, हड़ताल करने का प्रतिषेध करती है।

[सं फा० न० 10-3/70-एफ० सी० सी०]

क० पी० मथरानी,
सचिव।